प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 9/03/2021

जेल विभाग में 49 उप कारापालों की होगी सीधी भर्ती

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी

जयपुर। राज्य सरकार ने शनिवार को कारागार विभाग में 49 उप कारापालों की सीधी भर्ती की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की हैं। यह भर्ती पहली बार **राजस्थान कर्मचारी भर्ती बोर्ड** के माध्यम से की जाएगी। इससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती रही है।

जेल विभाग में अधिकारियों की कमी से जूझ रहे विभाग के लिए महानिदेशक जेल राजीव. दासोत के प्रयास रंग लाए हैं। उनके प्रयासों से सरकार ने 49 उप कारापाल भर्ती करने की स्वीकृति जारी की है। विभाग में उप कारापाल के 188 पद स्वीकृत है, जिसमें लगभग 60 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं।

डीजी जेल दासोत के अनुसार राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में निहित प्रावधानों के अनुसार उप कारापाल की भर्ती 50:50 के अनुपात में सीधी भर्ती एवं मुख्य प्रहरी से पदोन्नति के रूप में की जाती है। इससे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2013 में सहायक कारापाल की भर्तियां की गई थी।

****